चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 25.02.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 25.02.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में महाकुंम्भ 2025 प्रयागराज को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग तथा बार्डर पर बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेंकिग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 इमरान खान तथा कन्हैयाबक्श थाना राजापुर उनके हमराहीगण द्वारा अभियुक्त 1. श्रीपाल पुत्र घसीटे निवासी नादी तीरा थाना पहाड़ी 2. राजकरन पुत्र रामकृपाल निवासी मलवारा राजापुर 3. संतोष पुत्र सोना निवासी कालिंजर बांदा 4. दिनेश पुत्र लखन निवासी भैरमबाबा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ से कुल 14350/- रुपये,52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से कुल 9630/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

1.कुल 14350/- रुपये

2. 52 अदद ताश के पत्ते

3.जामा तलाशी से 9630/- रुपये

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री इमरान खान थाना राजापुर

2.उ0नि0 श्री कन्हैयाबक्श सिंह

3.मुख्य आरक्षी अतीक खाँ

4.आरक्षी चन्दन विश्वकर्मा

(4). मंडलायुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा श्री अजीत कुमार द्वारा जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जीएन व पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में महाकुंभ मेला 2025 एवं महाशिवरात्रि स्नान को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु रामघाट पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। महोदय द्वारा निर्देशित किया कि रामघाट, परिक्रमा मार्ग पर साफ सफाई की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए व पुलिस अधीक्षक से कहा कि सुरक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए तत्पश्चात मंडलायुक्त,जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट भगवान मत्यगयेद्रनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी की विधवत पूजा अर्चना भी किये।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चंद्र निगम,अधिशासी अधिकारी कर्वी श्री लालजी यादव,पीआरओ श्री प्रवीण सिंह सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजबिहारी, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री विनोद कुमार शुक्ल एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता सुशील सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश/एफटूसी श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 523/2008 धारा 147,148,149,307 भादवि0 व 12 डीएए एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. अभिलाष सिंह उर्फ लाला पुत्र अनन्तराम सिंह 2. दिवाकर सिंह उर्फ रामू पुत्र रामसूरत सिंह निवासीगण नांदिन कुर्मियान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष का कारावास 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । व मु0अ0सं0 524/2008 धारा 25 आर्म्स एक्ट में आरोपी अभियुक्त अभिलाष सिंह उर्फ लाला को 02 वर्ष का कारावास व 2000 रूपये के अर्थदण्ड व

मु0अ0सं0 525/2008 धारा 25 आर्म्स एक्ट में आरोपी अभियुक्त दिवाकर सिंह उर्फ रामू सिंह उपरोक्त को 02 वर्ष का कारावास व 2000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 25.05.2008 को तत्कालीन निरीक्षक प्रमोद कुमार पाण्डेय द्वारा आरोपी अभिमन्यु अभिलाष सिंह उर्फ लाला व दिवाकर सिंह उर्फ रामू उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 523/2008 धारा 147,148,149,307 भादवि0 व 12 डीएए एक्ट पंजीकृत कराया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री पन्नालाल द्वारा प्रारम्भ की गयी विवेचक उपरोक्त द्वारा अभियुक्त अभिलाष सिंह उर्फ लाला व अभियुक्त दिवाकर सिंह उर्फ रामू उपरोक्त को अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया तथा आरोपियों के विरूद्ध थाना स्थानीय में क्रमशः मु0अ0सं0 524/2008,525/2008 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा विवेचक द्वारा दिनाँक 31.07.2008 को आरोपियो के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(6). आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा/जनपद नोडल अधिकारी श्री अजीत कुमार की अध्यक्षता में तथा जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी एन एवं पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा ने जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा कि महाकुंभ 2025 का जो भव्य आयोजन आप लोगों ने धर्मनगरी चित्रकूट में संपन्न कराया है। सभी लोग बधाई के पात्र हैं, आगे महाशिवरात्रि, होली, रमजान आदि के जो त्यौहार आ रहे हैं। सभी अधिकारी सतर्क रहकर पर्वों को संपन्न कराए, कोई भी ढिलाई नहीं होना चाहिए सभी विभाग अच्छी तरह से तालमेल स्थापित करके त्योहारों को संपन्न कराए। उन्होंने कहा कि होली व रमजान के त्यौहार को देखते हुए सभी उपजिलाधिकारी पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में विभिन्न धर्म गुरुओं के साथ बैठक करके त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए। आज जो बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक के बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन करें तथा जिन बिंदुओं पर प्रगति नहीं है उन पर सभी विभाग कार्यों को पूर्ण कराकर समय सीमा के अंदर गाइडलाइन के अनुसार विकास कार्यों को समयबद्ध शासन की मंशा के अनुरूप कराया जाए,यातायात व्यवस्था समुचित रहे किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं मेला क्षेत्र रामघाट, मां मंदाकिनी गंगा आदि की साफ सफाई अच्छी तरह से कराई जाए उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों से यह भी कहा कि सीएम डैशबोर्ड में जनपद की रैंकिंग कम न हो जिन बिंदुओं पर प्रगति ठीक नहीं है, उसमें प्रगति कराई जाए ताकि जनपद की रैंकिंग प्रदेश में अच्छी रहे।

पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था के संबंध में महिला संबंधी मामले, विवेचना लूट, हत्या, डकैती, दहेज आदि कानून की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि 12 जनवरी 2025 से प्रयागराज महाकुंभ 2025 के मेला को देखते हुए पुलिस बल लगाया गया है। प्रतिदिन काफी वाहनों का आवागमन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शुरू होने से हो रहा है। काफी श्रद्धालु प्रयागराज से स्नान करके धर्म नगरी चित्रकूट में भी आ रहे हैं। यह महाकुंभ का बहुत बड़ा आयोजन हुआ है। इसमें जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क रहकर ड्यूटी करे ताकि कोई अप्रिय घटना न होने पाए। महाशिवरात्रि का पर्व कल पड़ रहा है जनपद में 19 महत्वपूर्ण शिव मंदिर है, जिनमें काफी भीड़ रहती है वहां पर पुलिस बल लगा दिया गया है चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र में अभी अमावस्या मेला को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र व पार्किंग स्थलों पर पुलिस बल तैनात रहकर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेंगे।

अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि जो आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के बिंदुओं पर प्रगति कराए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका अक्षरशः पालन कराया जाएगा।

बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा श्री अरविंद कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चंद्र निगम, उप जिलाधिकारी कर्वी सुश्री पूजा साहू, प्रभागीय वनाधिकारी श्री प्रत्युष कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ भूपेश द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।